

संघर्षित

उच्च शिक्षण विभाग परिषद

(उत्तर प्रदेश सरकार)

संख्या- उच्च शिक्षण परिषद/संघर्षित/2021/03537

तारखत दिनांक- 03/08/2021

संघर्षित प्रश्न

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय तकनीकी शिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक संशोधन एवं अनुसंधान विभाग के तहत तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुसंधान प्रदान किए जाने के अंतर्गत उच्च शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु विभाग (2019/2021) की परिषद कार्यवाही में सम्बद्धता समिति की बैठक अंतर्गत पूर्वी बैठक में अगस्त मास 2021-22 हेतु तकनीकी शिक्षण परिषद, नई दिल्ली को सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। सम्बद्धता विभाग के माध्यम से प्रत्येक प्रस्तावित संस्था पर विचार करने हेतु 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संशोधन विभाग की उच्च शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021-22 हेतु निर्धारित वर्गों के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करने के अंतर्गत प्रत्येक संस्था हेतु सम्बद्धता विभाग प्रदान की जाती है।

संस्था का संपूर्ण पूरा नाम : 4487 DEVO MAHESH COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, SONBHADRA

क्र.सं.	शाखा/प्रकार का नाम	एच-आर्इ/सी/टी/आई/टी/सी/टी/आई द्वारा संशोधन प्रदान करने हेतु अनुसंधान प्रदान किया जाता है	परिषद द्वारा संशोधन प्रदान करने हेतु अनुसंधान प्रदान किया जाता है
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	CIVIL ENGINEERING	120	120

संघर्षित प्रश्न

- ✓ संस्था 4487 DEVO MAHESH COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, SONBHADRA द्वारा निर्धारित की गई सभी वर्गों का पूर्णतः प्रदान करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षण परिषद द्वारा 1992 तथा उच्च शिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दिनांक 1992, विभाग निर्धारित 2019 तथा अन्य निर्धारित दिनांकों का अनुपालन करेगी तथा स्कूल निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित स्कूल तीन वर्षीय इकाई माध्यमों हेतु ₹ 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यवाही माध्यमों हेतु ₹ 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय कार्यवाही माध्यमों हेतु ₹ 22500.00/- प्रतिवर्ष स्कूल की प्रत्येक शाखा/प्रकार में प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शाखा/प्रकारों में स्कूल के संशोधन में प्रत्येक संस्था पर प्रदान किए जाने वाले संशोधन राशियाँ होंगी, और अनुसंधान कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। उच्च शिक्षण परिषद द्वारा यदि सन् 2021-22 हेतु उच्च शिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो परिषद की नसिहत को लागू करेगी।
- ✓ संस्था को उच्च शिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित वर्गों को ही प्रदान किया जाएगा। निर्धारित दिनांक 2021 की पूर्णतः अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संशोधन प्रदान करने के अंतर्गत प्रत्येक वर्गों को ही प्रदान किया जाएगा। निर्धारित दिनांक 2021 की पूर्णतः अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था को उच्च शिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित वर्गों को ही प्रदान किया जाएगा। निर्धारित दिनांक 2021 की पूर्णतः अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था को उच्च शिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित वर्गों को ही प्रदान किया जाएगा। निर्धारित दिनांक 2021 की पूर्णतः अनुपालन करना होगा।



संस्था अपने प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विहितनियमों/अतिरिक्तनियमों/समादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, स्तरीय प्रवेश परीक्षा परिषद, 2009 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, राज्या द्वारा बनाये गये निर्देशों, विनियमों, अदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ शिक्षण इस परमैत्री पर्यवेक्षण की संस्थाओं एवं वी सी आई, आई टिचर्स के अनुमोदन प्राप्त करने के अनिवार्य लक्ष्य है जो इस संस्था में संस्था उपस्थितित संस्था का लोग और विधियां तथा वे विधियों भी मालूम होने के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्चतर प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशकालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित सूचनाओं को कोई तरह का विचार बिना है एवं उच्चतर माध्यम के संबंध में या, नारायण द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अतिरिक्त निर्देश बिना प्राप्त है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधी करनी होगी।
- ✓ शिक्षण इस परमैत्री पर्यवेक्षण करणियां करने वाली संस्थाओं की समस्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक माध्यम के लिए अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा एवं आ-विहित प्रवेश होने के पूर्व (पूर्व प्रवेश परीक्षा) के अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा कार्यक्रम का उपकरण बनाना (श्रीग संस्था एवं प्रदेश की अतिरिक्तित्व के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर लीये प्रदेश) अनुमोदन नहीं प्राप्त की जाएगी।
- ✓ उच्चतर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्मित नवीनतम अध्यापन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की एक-एक सुचनाएं जैसे संस्था की ऐंजलि-सिद्धि भुक्ति, स्वागत, सार-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुचना, अतिरिक्त सुचना आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त पर्यवेक्षण उपकरण करने के लिये प्रेषित टॉकन के संस्था में समस्त आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करवाये होगी।
- ✓ संस्था पर, मुनिविरा हो के कि संस्था में उपस्थित अतिरिक्त पर्यवेक्षण की संस्था अपने हेतु निर्देशक समिति के समस्त उपकरण करने गये अतिरिक्त, मुनिविरा, परीक्षा, उत्तराकरण आदि का परि, संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण के उपकरण में प्रेषित किया जाना है और परीक्षा को इसकी समझती होगी है कि संस्था उपकरण का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की समस्त उपकरण स्वयं पर निवेदन करने की आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था के स्वयंसेवक नियुक्त होने पर संस्था में भूमि, भवन, पर्याप्तता, उपकरण एवं अन्य समस्त उपकरण पर्याप्तता/पर्याप्तता/पर्याप्तता/पर्याप्तता/पर्याप्तता/पर्याप्तता के अनुसार उपकरण की प्राप्ति प्राप्त है तो संस्था की समस्त उपकरण कर दी जाएगी।
- ✓ संस्था द्वारा की अनुमोदन न किये जाने पर संस्था द्वारा का उपकरण किये जाने की स्थिति में शिक्षण/उच्चतर अनुमोदन/उच्चतर/उच्चतर/उच्चतर/उच्चतर/उच्चतर की होगी।

(सुनील कुमार सैनकर)

सचिव

प्लॉट- 2, नविसागरिया, सन्त-छात्रा/2021/2509-4800

दिनांक: 18/08/2021

पते/पते:

DEVO MAHESH COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, SONBHADRA



(सुनील कुमार सैनकर)

सचिव



कार्यालय,

राजिव प्रविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या - प्राशिक्षा/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संज्ञक: दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय भाषा:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (कार्मै सी काराउचित ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली) द्वारा संश्लिष 2022-23 हेतु डिप्लोमा अरुपी तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 24/08/2022 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति को बैठक संगत हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित गई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संश्लित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि अटिल बना भवों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिख गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिखे गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम	4487-DEVO MAHESH COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ए0आई0सी0टी0ई0 पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	80	80
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, विनियमावली-2004, रीपेक्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत आदेशवली का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिये पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2015-16- प्रतिवर्ष दो वर्षों के लिये पाठ्यक्रम हेतु सत्र- 45000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों के लिये पाठ्यक्रमों (2) वर्षों के लिये पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु सत्र-22500/- प्रतिवर्ष शुल्क से प्रत्येक पाठ्यक्रम से प्राप्त किए जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योग/व्यापारों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत किये जाने वाले यासनादेशों का भी ध्यान देकर तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फ्रीम निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु पाठ्यक्रम के पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फ्रीम की नवीनताम उसे लागू होगा।



- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आर्षटन छात्रों को भी प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निम्न कानूनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं समीक्षा का मुल्क उभार करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/कानूनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्चतर द्वारा बनाये गये नियमों/विधियों/निर्देशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्था का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कानूनादेशों के लिए संस्था अन्य उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा वापर उस के संबंध में मा. सर्वोच्चतम द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निगत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रेषित हेतु अद्यतित कानूनादेशों/निर्देशों के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा। अनायास उन्हें प्रेषित की (कानूनादेशों के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर उचित प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी)।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु समय-समय पर निम्न कानूनादेशों/विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की अमल सुचारु चलने के लिये ऐतिहासिक दृष्टि भूमि, छात्र, माता-सजा, उपकरण, प्राचा विद्ये जाने वाला सुल्क, छात्रवास सुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्युत/प्रदूषण हेतु उपयुक्त कानूनादेशों/विधियों के साथ लगी होकर के समय में संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित है कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को नरामे जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कानूनादेशों के संवादन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्रवाई कर लेगी।
- ✓ संस्था के अलावा अलीक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, अभ्युक्त, उपकरण एवं अन्य माता-सजा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० के माध्यम/द्वारा उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निरामाचार अनुपालन/अन्य कार्रवाई की जायेगी।


(एफ०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

सचिव

पृष्ठ सं०: प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2022/0318-0456

दिनांक: 20/03/2022

प्रतिश्री:

प्रधानाचार्य/निदेशक, DEVO MAHESH COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY




(एफ०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)